<u>उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर</u>

पृष्ठां. क्र. ___ए/967___ जबलपुर, दिनांक 08 फरवरी, 2022
तीन-19-08/70(भाग-2-ई)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, प्रथम तल विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) की अधिसूचना क्रमांक 1/123/21-ब(दो)/2022, दिनांक 18.01.2022 की प्रतिलिपि मध्यप्रदेश राज्य के समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

08.02.2022

विवेक सक्सेना
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,
प्रथम तल,विन्ध्याचल भवन,भोपाल–462004
//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 18/01/2022

कमांक 1/123/21–ब(दो)/2022, राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (कं.33 सन् 1989) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 32 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त समस्त विशेष लोक अभियोजक अनन्य विशेष लोक अभियोजको को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण),1989 (1989 की 33) की धारा 15 के तहत भी विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता हैं ।

और यह भी कि राज्य शासन एतद् द्वारा प्रत्येक जिले में पदस्थ सभी उप संचालक अभियोजन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं समस्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की सेवा अवधि 07 वर्ष होने पर उन्हें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 की धारा 32 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण),1989 की धारा 15 के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अरूण कुमार सिंह(सीनियर))
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,
भोपाल, दिनांक 18/01/2022
01/02/22

पृ0कमांक 1/123/21–ब(दो)/2022,

प्रतिलिपिः–

1– रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.)
2– समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (म.प्र)
3– समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (म.प्र.)
4– अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल आपकी नस्ती यू.ओ.कं. 173/2021/बी–4/दो, दिनांक 01.11.2021 के संदर्भ में आदेश की प्रति संलग्न कर नस्ती मूलतः वापस लौटाई जाती हैं ।
5– प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन,अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल (म.प्र.)
6– संचालक लोक अभियोजन संचालनालय,भदभदा रोड़,भोपाल (म.प्र.)
7– प्रमुख सचिव,महिला एवं बाल विकास विभाग,मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)
8– आई0टी0शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
9– नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) में प्रकाशित किये जाने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
04 FEB 2022
Reg No. 2003
R.N

(डॉ.वैभव विकास शर्मा)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग